धारा, 3,5,6,8,9,10 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमय) अधिनियम 1995

मु. नं. : 19/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
25–11–2020	थानाधिकारी, पुलिस थाना दानपुर ने रिपोर्ट की है कि दिनांक 19.11.2020 को प्रार्थी श्री विकास कलाल पिता नानालाल कलाल निवासी होली चौक पृथ्वीगंज बॉसवाडा ने लिखित रिर्पोट इस आशय की पेश की कि मुखबीर की सूचना अनुसार ट्रक नं. आर. जे.09 जी.ए 8172 जिसमें गोवंश दानपुर होकर मध्यप्रदेश धुलिया महाराष्ट्र कत्लखाने ले जाए जायेंगे। जिस पर कटुम्बी के आगे खड थे कि पीछे से ट्रक नं. ट्रक नं. आर.जे.09 जी.ए 8172 आया। जिसे रोकने हेतु हाथ का इशारा करने पर ड्राईवर ट्रक को भगाकर ले गया। पिछा करने पर ट्रक को होलाखो घाटी पर निचे उतार दिया। ट्रक से चार व्यक्ति उतर कर भागने लगे, भागते हुए एक व्यक्ति को पकडा जिसने अपना नाम श्री सद्दाम पिता फारुख निवासी मुल्तानपुर, वायडी नगर, मन्दसौर (म.प्र.) का होना बताया। एवं तीन व्यक्ति जो भाग निकले उनके नाम श्री मंजुर पिता शबीर निवासी बोतलगंज, पिपलिया मण्डी, मन्दसौर (म.प्र), श्री लियाकत पिता शबीर निवासी मुल्तानपुर, वायडी नगर, मन्दसौर (म.प्र.), श्री रसीद अजमेरी निवासी दावतखेडी, वायडी नगर मन्दसौर (म.प्र.) का होना बताया। एवं अन्य जो गौ तस्कर है स्वीफ्ट से आगे चल रहे के नाम अकबर उर्फ चिल्ला पिता अयुब सुसादिया मुसलमान निवासी मुल्तानपुरा थाना वायडी नगर जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश व दिलावर उर्फ दिल्लू पिता ईकबाल सुन्नी मुसलमान निवासी मुल्तानपुरा जिला वाडीनगर मन्दसौर है। गौवंश इन्ही का होना बताया जो राजस्थान से मध्यप्रदेश होकर धुलीया महाराष्ट्र कत्लखाने ले जाया जा रहा था। सद्दाम को गौवंश ले जाने के अनुज्ञा पत्र के बारे में पुछा गया तो नही होना जाहिर किया। ट्रक मे डबल पार्टीशन में गौवंश भरे हुए पाये गये। त्रिपाल से पूरा ट्रक पेक था। ट्रक में कुल 53 गौवंश थे, जिसमे से 2 बछडो की ट्रक में दम धुटने से मृत्यु हो गई थी। बाकी गम्भीर रुप से घायल थे। पैरो को कसकर रस्सी से बांधा हुआ था। ट्रक में चारे पानी हवा की कोई व्यवस्था नही थी। मृत 2 बछडो का पोस्ट मार्टम कराया गया। सद्दाम ने बताया कि इन गौवंश को नसीराबाद के पास से गोवन बंजारा व बापू दिया बंजारा एवं घाना चिवडा निवासी चापडेल वालो ने भरवाया है। यह गौ तस्कर बिना अनुज्ञा पत्र के राजस्थान से गौवंश मध्यप्रदेश होकर धुलिया महाराष्ट्र कत्लखाने ले जा रहे थे। इनके विरुद्व गौ तस्करी के कई मामले दर्ज है। मंजुर के विरुद्ध सुहागपुरा प्रतापगढ रिंगनोद रतलाम एवं इसी वर्ष गुजरात में गौ तस्करी का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। ट्रक में पाये गये 20 बछडे, 31 बैल एवं 2 मृत बछडे कुल 53 गौवंश के सम्बन्ध में अभियुक्तगणो के विरुद्ध प्रकरण सं. 158/2020 धारा 3,5,6,8,9,10 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमय) अधिनियम 1995 एवं धारा 6(ए)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.12.02 15:58:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राज. गौ वंश संशोधन अधिनियम, धारा 11(3)(घ) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 तथा एमवी एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान जारी है। थानाधिकारी ने प्रकरण में जप्त 20 बछडे एवं 31 बैल कुल 51 गौवंश को प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक बॉसवाडा जिला गौ सेवा संघ मदारेश्वर रोड बॉसवाडा (पंजीयन क्रमांक 10/63–64 एवं 115/94) को सुपुर्द करने निवेदन किया है।

अतः राजस्थान, गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमय) अधिनियम, 1995 की धारा 7 के तहत् जब्तशुदा 20 बछडे एवं 31 बैल कुल 51 गौवंश की चराई, सुरक्षा एवं देखभाल की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धक, बॉसवाडा जिला गौ सेवा संघ मदारेश्वर रोड बॉसवाडा जिसका पंजीयन क्रमांक 10/63–64 एवं 115/94 है की होगी। जब्तशुदा गोवंश की वीडियोग्राफी भी सुपुर्दगी के समय करवायी जावे। सम्बन्धित न्यायालय द्वारा उक्त पशुओं को तलब करने पर न्यायालय में पेश करने के लिए प्रबन्धक, बॉसवाडा जिला गौ सेवा संघ मदारेश्वर रोड बॉसवाडा (पंजीयन क्रमांक 10/63–64 एवं 115/94) बाध्य होगा।

तहरीर जारी होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.12.02 15:58:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner